

**UPDATED REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P.,
LUCKNOW**

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 231/2014

**DOABA PARYAVARAN SAMITI
VERSUS
STATE OF U.P. & ORS.**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE	1-10
2.	Annexure - I	11-12
3.	Annexure – II	13-16
4.	Annexure - III	17-31
5.	Annexure - IV	32
6.	Annexure - V	33

**UPDATED REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE IN
O.A. NO: 231/2014
IN RE: DOABA PARYAVARAN SAMITI VERSUS STATE OF U.P & ORS.**

I. BACKGROUND

The applicant in O.A.231/2014 alleged that discharge of industrial effluent in rivers is negatively affecting the surface water (Kali Nadi, Krishna and Hindon rivers) and groundwater in the region. Furthermore, water pollution is having health implications for the inhabitants.

II. ORDERS PASSED BY HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL IN O.A 231/2014

Hon'ble Tribunal passed an order dated 07.08.2020 in continuation of order dated 28.02.2020 on the issue of remedial measures for the industrial or other pollution in Kali Nadi, Krishni and Hindon Rivers resulting in diseases and deaths of inhabitants of the area. The Tribunal considered the report filed by the Oversight Committee on 30.07.2020, apart from the report of the Chief Secretary filed on 05.08.2020. The summary of the report of the report had been stated in the order and the Hon'ble Tribunal accepted all the recommendations made by the Oversight Committee. On due consideration, it directed the Chief Secretary, U.P. to ensure compliance of thereof.

Further it was directed that:

"It will be appropriate that the Chief Secretary ensures filing of a consolidated reply instead of separate representation and separate replies by different Departments of the State. A unified approach in matters of this nature is necessary so that shifting of blame from one Department to the other can be avoided. The Oversight Committee may also file its further report before the next date. River Hindon is one of 351 polluted river stretches and steps have to be taken for restoration of water quality in terms of orders of this Tribunal in OA 673/18 by executing the action plan already prepared on the subject in a time-bound manner. EC has to be recovered if deadlines are not adhered to. The action plans inter alia require interception of drains to destined STPs, adoption of insitu remedial measures in intermediary phase, utilisation of treated sewage, demarcation and regulation of flood plain zone. River Hindon joins Yamuna which then joins Ganga. Still, no meaningful actions are being taken for years together. The river is practically dead and needs to be restored in the interest of the environment and public health. Meaningful progress must be achieved by the concerned departments including the Urban Development, Irrigation, the Jal Nigam, and the Environment. All drains joining Kali, Krishni and Hindon should have in situ remediation and plan for connectivity with the identified STP. The

Chief Secretary may ensure that there is coordination among all the concerned Departments in accordance with the action plan. The reports may be filed before the next date of hearing”.

III. MONITORING BY OVERSIGHT COMMITTEE

A meeting was conducted by Oversight Committee to review the compliance status in O.A 231/2014 on 17.07.2020 and 21.07.2020.

1. Considering the issue of piped water supply in 148 villages, JMD, U.P. Jal Nigam had informed that piped water supply was available in 45 villages. In the remaining 103 villages, work is under process in 102 villages. However, in remaining 1 village due to land issue work had not yet started. Out of the 102 villages, he had informed that work was expected to be finished in 29 villages by September,2020 and in rest 73 villages by Dec,2020. In the 102 villages where work is under process, more than 8000 handpumps have been fitted so as to provide potable water. The Committee was dissatisfied by the progress as it was promised by the Chief Engineer, U. P Jal Nigam in meeting held by Oversight Committee dated 30.1.2020 that 40 tube wells would be complete by March, 2020 and 63 would be complete by April, 2020 and through them piped water supply would be provided to the affected villages by June, 2020.
2. Taking into account the issue of STP at Muzaffarnagar, Budhana and Saharanpur, the officials had informed that work had not started at any place. The usual explanation that project is awaiting approval from NMCG was submitted.
3. Considering the matter of phyto/bioremediation in drains, UPPCB informed that there are total 8 drains in the region out of which 6 are non-compliant. Official from Saharanpur informed that phyto remediation work was still incomplete as only 14 km stretch has been covered and rest is left. UPPCB had imposed penalty of Rs.1 crore regarding non-compliance in this matter. Similarly, in Muzaffarnagar, phyto remediation work had not been initiated so UPPCB had imposed penalty of Rs. 3.5 crore and had sent notice to respective Nagar Palikas.
4. In the issue of 230 defaulting units, UPPCB apprised the Committee that all these units were sealed and total 9.4crore penalty was imposed out of which 3.70 crore had been realized. Consent to operate was not provided to units which had not paid

the penalty and were strictly directed to pay the EC. It was made clear to the units' owners that in case of non-payment EC will be recovered by means of land revenue.

5. The Health Dept. had informed that no health camps could be organised due to Covid-19 pandemic. Still instructions had been passed on to the Chief Medical Officer of the district to collect information about cancer patients , patients suffering from diseases caused by polluted water along with patients having co-morbidities under the Dastak Abhiyaan run by the Dept.

Another meeting was conducted by the Oversight Committee on 27.01.2021 regarding this matter in which the updated compliance status was discussed.

IV. LATEST COMPLIANCE STATUS

In order to review the latest compliance status the Oversight Committee held a meeting on 27.01.2021 regarding O.A 231/2014. The minutes of meeting are attached as **Annexure I**. The latest and updated status issue wise is presented below:

1. Issue- Piped water supply in affected 148 villages

Action taken : As per the compliance submitted by U.P. Jal Nigam out of total 148 Villages work has been already completed in 103 villages. Work of piped water supply is complete in 103 villages while in rest 44, in 21 villages work is complete but in 23 villages water is being supplied through direct pumping with the help of DG sets as power connection is awaited. It is expected to be granted and work would be complete within 1 month (Refer **Annexure II**).

2. Issue-Work of STP in Muzaffarnagar, Budhana and Saharanpur

Action taken : In Muzaffarnagar (22 MLD) and Budhana (10 MLD) STPs tender has been finalized and work has been initiated. The work of making boundary wall has been started at 22 MLD STP at Muzaffarnagar. Regarding Saharanpur, JMD, UP Jal Nigam in the meeting held by Oversight Committee on 27.1.20 informed that the DPR for STP at Saharanpur was sent to NMCG for approval which was sent back by NMCG with certain observations. U.P Jal Nigam is preparing a reply on the observations in cooperation with WEBCOS Pvt.Ltd.(consultancy firm). The same would be sent to NMCG in February,2021

3. Issue- Tapping of drains

Action taken: Total 133 drains are present in the stretch of Hindon falling in Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli and Ghaziabad. The details of drains is as follows:

Number of tapped drains- 11

Number of partially tapped drains- 05
Number of drains which do not require tapping- 01
Number of drains to be tapped in ongoing projects – 11
Number of drains to be tapped in projects for DPRs sent/DPR under preparation – 102
Number of industrial drains – 03 (Refer **Annexure II**).

4. Issue- Bio/phytoremediation of drains

Action taken: Regarding bioremediation it was informed that bioremediation of drains has taken place in Saharanpur, on Nagdehi and Dhamola drain. No progress has been reported in other areas. In the meeting conducted by Oversight Committee on 27.1.2021, it was informed by UPPCB that EC of Rs. 8.7 crore has been imposed on 29 drains for the period July 2020 to January,2021. Reminders have been sent to the local bodies for depositing the EC (Refer **Annexure IV & V**). Further, a meeting was held at Chief Secretary level on 2.12.2020 in which it was discussed that an appeal shall be filed before the Hon'ble Tribunal to extend the timelines for completion of work of undertaking bio/phytoremediation on drains and provide relaxation from EC (Refer **Annexure III**).

5. Issue: Health camps in the affected area and preparation of micro plan to identify causes of diseases

Action taken: Due to Covid-19 pandemic, health camps could not be organized. Furthermore, considering the preparation of micro plan, under the Covid-19 health survey the officials have been directed to identify patients of cancer along with people having co-morbidities

6. Issue- EC imposed on 230 defaulting industries

Action taken: Rs. 11.32 crore has been imposed as Environmental Compensation on defaulting industries for the period July 2020-Jan 2021, out of which Rs.4.14 has been recovered. In compliance, further steps for recovery of arrears of Environmental Compensation have to be taken , which is under progress.

7. Issue- All drains joining Kali, Krishni and Hindon should have in situ remediation and plan for connectivity with the identified STP.

Action taken: No progress has been reported in this regard.

8. Issue- Performance guarantee of Rs. 5 crore

Action taken: Performance Guarantee of Rs 5 Crore directed by Hon'ble NGT on 15.3.19 is yet to be deposited by State Government

V. OBSERVATIONS BY OVERSIGHT COMMITTEE

U.P Jal Nigam has made an effort to meet the timeline of Dec,2020 to ensure piped water supply in 148 affected villages. However, still in 23 villages water is being provided through direct pumping as power connection is awaited. Furthermore, there has been no significant progress in installation of any of three STPs proposed in the last one year. Regarding tapping of drains, progress is extremely slow with 113 drains being still untapped. Moreover, bio/phytoremediation of drains as an interim measure has also not taken place. Performance Guarantee of Rs 5 Crore directed by Hon'ble NGT on 15.3.19 has not yet been deposited. No progress has been made regarding connectivity of drains joining Kali,Hindon and Krishni with identified STP.

VI. SUMMARY OF COMPLIANCE STATUS

S.No.	Directions by Hon'ble NGT	Concerned Department	Compliance Status September 2020	Compliance Status January 2021 (as of 27.1.2021)
1.	Complete work of piped water supply in 148 villages by 31.3.2020. Rural Development Department directed to supply safe drinking water through tankers as intermediate arrangement.	U.P Jal Nigam, Dept.of Panchayati Raj, UP.	Partially Complied (Only 45 villages covered as of 23.07.2020 and in rest 102 villages safe potable water provided through deep India Mark II handpumps)	Partially Complied As per the compliance submitted by U.P. Jal Nigam out of total 148 Villages work has been already completed in 103. work of piped water supply is complete in 103 villages while in rest 44, in 21 villages work is complete but in 23 villages water is being supplied through direct pumping with the help of of DG sets as power connection is awaited. It is expected to be granted and work would be complete within 1 month.
2.	Complete work of STP by 31.3.2020 The State was directed to identify erring officers for suitable action in	U.P Jal Nigam	Not Complied Approval pending from NMCG. Basic engineering design submitted to NMCG in case of Muzaffarnagar	Partially Complied In Muzaffarnagar (22 MLD) and Budhana (10 MLD) STPs work has been initiated. The work of making boundary wall has been started at 22

	<p>this matter.</p>		<p>and Budhana.</p> <p>DPR submitted to NMCG in case of STP Saharanpur.)</p> <p>No report received regarding action taken against erring officers.</p>	<p>MLD STP at Muzaffarnagar.</p> <p>Regarding Saharanpur, JMD, UP Jal Nigam in the meeting held by Oversight Committee on 27.1.2012 informed the DPR for STP at Saharanpur was sent to NMCG for approval which was sent back by NMCG with certain observations. U.P Jal Nigam is preparing a reply on the observations in cooperation with WEBCOS Pvt. Ltd. (consultancy firm). The same would be sent to NMCG in February, 2021</p>
3.	<p>Vide order dated 28.2.2020 it was directed to:</p> <p><i>Identify untapped drains and should prepare a plan with timelines and completely tap these drains at the earliest. In the mean time, they should carry out in-situ treatment in drains to reduce the pollution load. All those who fail to control inflow of untreated sewage into the river should be penalized on basis of 'Polluter Pays' principle and prosecutions may be initiated</i></p>	U.P Jal Nigam	<p>Partially Complied</p> <p>(drains have been identified and EC imposed on drains in Saharanpur, Shamli and Muzaffarnagar)</p> <p>Drains are untapped in all the districts.</p> <p>Details of drains not submitted</p>	<p>Partially Complied</p> <p>From Saharanpur to Ghaziabad drains from Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Ghaziabad & Gautambudh Nagar meets in River Hindon whereas drains from Meerut meets in Kli-East and drains from Baghpat meets in River Yamuna. The treatment of drains in Gautambudh Nagar is in Jurisdiction of Noida Authority. Hence in Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli and Ghaziabad there are total 133 drains present in the stretch of Hindon.</p> <p>Number of tapped drains-11</p>

	<i>against officials in districts where timelines are not adhered to.</i>			<p>Number of partially tapped drains- 05</p> <p>Number of drains which do not require tapping- 01</p> <p>Number of drains to be tapped in ongoing projects – 11</p> <p>Number of drains to be tapped in projects for DPRs sent/ DPR under preparation – 102</p> <p>Number of industrial drains - 03</p>
3.	Bioremediation of drains at Saharanpur and Muzaffarnagar. UPPCB to carry out monitoring to ascertain effectiveness of bio-remediation within 30 days.	U.P Jal Nigam	<p>Partially Complied</p> <p>In Saharanpur, phytoremediation done on 14 km stretch only.</p> <p>In Muzaffarnagar no progress in this regard. Penalty imposed in both areas by UPPCB.</p>	<p>Partially Complied</p> <p>Regarding bioremediation of drains has taken place in Saharanpur, on Nagdehi and Dhamola drain.</p> <p>In the meeting conducted by Oversight Committee on 27.1.2021, it was informed by UPPCB that EC of Rs. 8.7 crore has been imposed on 29 drains for the period July 2020 to January,2021. Reminders have been sent to the local bodies for deposition of EC.</p>
4.	Directions issued for organizing health camps in the affected area at regular intervals and treatment of all patients in the high referral specialized	Dept.of Health and Family Welfare, U.P	<p>Not Complied</p> <p>Health Camp organised in December, 2019. However, due to Covid-19 pandemic and lockdown health camps could not</p>	No progress further reported

	hospitals		be organised in last 3 months.	
5.	Micro plan to be prepared to cover the entire stretch and identify cause of ailments like skin diseases, jaundice, cancer etc in the population in concerned region	Dept.of Health and Family Welfare, U.P	Not Complied A micro plan specifically not being prepared. However, under the Covid-19 health survey the officials have been directed to identify patients of cancer along with people having co-morbidities.	No progress further reported
6.	The State directed to ensure deposition of Rs. 9.40 Crore of Environment Compensation imposed upon 230 defaulting water polluting industries and in case of default, to initiate recovery of Environment Compensation as arrears of land revenue by way of attachment of properties	UPPCB	Partially Complied (Rs.3.7 crore recovered. Consent to operate not provided if EC is not deposited)	Partially Complied Rs. 11.32 crore has been imposed as Environmental Compensation on defaulting industries for the period July 2020-Jan 2021, out of which Rs.4.14 has been recovered. In compliance, procedure for recovery of arrears of Environmental Compensation is to be done by way of attachment of properties, which is under progress.
7.	In order to stop effluent discharged from illegal industries, it is suggested that a joint committee of District Administration, Land owning agency, Pollution	U.P. Jal Nigam	No progress reported.	No further progress reported.

	Control Board, Electricity Department and Police be setup			
8.	Estimate for Harra Town Area Committee and DPR for PWS in village-Biral, District-Baghat be prepared within a specified time-line/ or within three months	U.P Jal Nigam	Partially Complied File of Harra Town sanctioned and G.O is expected to be out by July 25, 2020. DPR of Biral, Baghat sanctioned and tenders have been awarded. The work is expected to be complete by March, 2021.	Partially Complied <ul style="list-style-type: none"> • As per information provided by U.P. Jal Nigm one village Harra TAC distt. Meerut work is in progress. • Village Biral, Distt. baghat work is in progress.
9.	All drains joining Kali, Krishni and Hindon should have in situ remediation and plan for connectivity with the identified STP.	Urban Development/ Rural Development & Panchayati Raj/ U.P Jal Nigam	Not Complied	Not Complied
10.	Performance Guarantee of Rs 5 Crore directed by Hon'ble NGT.	U.P Jal Nigam/ Urban Development/ Rural Development & Panchayati Raj	Not Complied	Not Complied

VII. RECOMMENDATIONS BY OVERSIGHT COMMITTEE

1. Providing piped water supply in the affected 148 villages is the main issue of concern in this case. The concerned authorities after repeated directions from Hon'ble Tribunal and this Committee have progress, but still in 23 villages, piped water supply is being provided through direct pumping by D.G sets as power connection is awaited. In view of this, the Committee recommends that U.P Jal Nigam must ensure compliance and submit a status report with the completion timelines.

2. Out of total 133 drains present in the stretch of Hindon, 113 drains are still untapped or are in the process of getting tapped. No interim measure has been taken to prevent flow of these drains into the rivers. The Committee recommends that UPPCB must send the notices within one week for deposition of EC (total Rs.8.7 crore) to the concerned local body and ensure realization at the earliest.
3. Regarding the work of STPs in Muzaffarnagar, Budhana and Saharanpur, the progress of work is negligible. Work has been initiated in Muzaffarnagar and Budhana while in Saharanpur, DPR has not yet been finalized. Usual explanations about shortage of funds and pendency in approvals from higher authorities have been submitted in every meeting. It is suggested that legal action be taken against the concerned authority and EC be imposed by CPCB. Notice of EC be issued within one week.
4. From the latest information submitted by UPPCB, it was observed that EC realization (Rs.4.14 crore) from 230 defaulting industries is much less than the imposed amount (Rs.11.32 crore) which is now being done through attachment of properties. It is recommended that for strict enforcement, progress in this regard must be submitted to this Committee every month. Further, Chief Secretary must ensure deposition of Performance Guarantee of Rs 5 Crore as directed by Hon'ble NGT on 15.3.19.
5. Department Of Health,UP must submit its report within a month about the 'Dastak Abhiyaan' conducted during the Covid-19 pandemic under which it collected information about the patients of cancer alongwith the people having co-morbidities.

The Member Secretary, UPPCB is directed to send this report to the Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for placing the same before the Hon'ble Tribunal with a copy to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh for necessary action. The report also be uploaded on the website of the Committee.

27-01-2021

27-01-2021

X Anup Chandra Pandey

DrAnup Chandra Pandey
Member, Oversight Committee
Signed by: ANUP CHANDRA PANDEY

X SVS Rathore

Justice SVS Rathore
Chairman, Oversight Committee
Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

January 27, 2021

Annexures: As above

Please visit our website: oscngt.upsdc.gov.in for more information.

Meeting No. 97

**MINUTES OF MEETING OF NGT OVERSIGHT COMMITTEE, U.P, LUCKNOW HELD ON
27.01.2021 IN O.A 231/2014 IN DOABA PARYAVARAN SAMITI VS. STATE OF UP**

THROUGH VIDEO CONFERENCING

Present: Hon'ble Justice SVS Rathore, Chairman and

Dr.Anup Chandra Pandey, Member

Other participants:

1. Shri Anil, MD, U.P Jal Nigam
2. Shri Susheel Kumar Patel, JMD, U.P Jal Nigam
3. Shri Vivek Rai, Chief Environmental Officer, UPPCB
4. Shri A K Tripathi, CPCB
5. Shri Gyanendra, Nagar Ayukt, Saharanpur

The applicant in O.A.231/2014 alleged that discharge of industrial effluent in rivers is negatively affecting the surface water (Kali Nadi, Krishna and Hindon rivers) and groundwater in the region. Hon'ble Tribunal passed an order dated 07.08.2020 in continuation of order dated 28.02.2020 on the issue of remedial measures for the industrial or other pollution in Kali Nadi, Krishna and Hindon Rivers resulting in diseases and deaths of inhabitants of the area. The Tribunal considered the report filed by the Oversight Committee on 30.07.2020, apart from the report of the Chief Secretary filed on 05.08.2020. Water pollution is having health implications for the inhabitants.

In view of the above, the Oversight Committee held a meeting on 27.01.2021 to review the compliance status as per the Hon'ble NGT directions in O.A 231/2014. The minutes of meeting are presented below:

1. **Piped water supply in affected 148 villages:** JMD, U.P Jal Nigam informed that work of piped water supply had earlier been completed in 103 villages. Water is being supplied by pipeline in rest of the 44 villages also. Out of these, in 21 villages and Town Area Haraiyya work is complete but in 23 villages water is being supplied through direct pumping by means of DG sets. Request for power connection for connecting the Overhead tank in these 23 villages has been sent to the Power Corporation which shall be granted and thus work would be complete within one month from today. The Committee directed to ensure compliance within the said timelines.
2. **STP in Muzaffarnagar, Budhana and Saharanpur:** JMD, U.P Jal Nigam apprised the Committee that boundary wall work at STP (22 MLD) in Muzaffarnagar has started. Similarly, rehabilitation work of STP (32.5 MLD) in Muzaffarnagar is also in progress.

Funds are available for these projects. Regarding STP (10 MLD) in Budhana, it was informed that work has started (5 percent progress registered) and it is anticipated to be complete by June,2022. Furthermore, the DPR for STP at Saharanpur was sent to NMCG for approval which was sent back by NMCG with certain observations. U.P Jal Nigam is preparing a reply on the observations in cooperation with WAPCOS Pvt. Ltd.(consultancy firm). The same would be sent to NMCG in February, 2021.

3. **Phyto/bioremediation of drains:** Chief Environmental Officer, UPPCB informed that EC has been imposed on 29 drains in the entire stretch of Hindon from Saharanpur to Ghaziabad. No progress has been made regarding phyto/bioremediation of drains, thus, UPPCB has imposed EC of 8.7 crore for the period July,2020-Jan,2021. Reminders have also been sent to local bodies for taking up interim measures. Further, it is mentioned that in the meeting held at Chief Secretary level on 2.12.2020 it was discussed that an appeal shall be filed before the Hon'ble Tribunal to extend the timelines for completion of work of undertaking bio/phytoremediation on drains and provide relaxation from EC. The Committee directed UPPCB to submit local body wise breakup of tapped, untapped drains as well as the detailed status of phyto/bioremediation on these drains.
4. **Phyto/bioremediation in Saharanpur:** Nagar Ayukt, Saharanpur informed in the meeting that bioremediation work has been done on two drains viz.. Nagdehi and Dhamola drain. Continuous monitoring of water quality parameters such as BOD/DO etc. is done in coordination with UPPCB.
5. **Environmental Compensation on defaulting industries:** Chief Environmental Officer, UPPCB informed that EC of 11.32 crore has been imposed for the period July,2020 to Jan,2021. Out of the imposed amount Rs.4.14 has been recovered so far. The Committee directed to ensure recovery of the entire amount at the earliest.

27-01-2021

27-01-2021

X Anup Chandra Pandey

Dr Anup Chandra Pandey
Member, Oversight Committee
Signed by: ANUP CHANDRA PANDEY

X SVS Rathore

Justice SVS Rathore
Chairman, Oversight Committee
Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

January 27, 2021

Please visit our website: oscngt.upsdc.gov.in for more information.



उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालय - 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्या - 65 /022- 231-2014/2021

दिनांक- 23.01.2021

सेवा में,

श्री ए०एन० बाजपेई,
(पी०पी०एस०)

मा० सदस्य, ओवर साइट कमेटी,
एन०जी०टी०, यू०पी०
लखनऊ -226010

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सख्या 231/2014 "दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य" के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने ई-मेल दिनांक 20.01.2021 (अपराह्न 03:33 बजे) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा० ओवरसाइट कमेटी, एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सख्या 231/2014 "दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य" में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजेन्डा बिन्दुओं को संलग्न करते हुए दिनांक 27.01.2021 को निर्धारित बैठक में प्रतिभाग किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में ओ०ए० सख्या 231/2014 के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के कार्यालय पत्रांक 250/एन०जी०टी० दिनांक 23.01.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी एजेन्डा बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुशील कुमार पटेल)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

पृ.सं. एवम् दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालन आख्या की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय मुख्य अभियंता (गा0 क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम, गाजियाबाद

पत्रांक : 250 / NCT

दिनांक: 23/1/2021

सेवा में,

मुख्य अभियंता (गंगा),
उ0प्र0 जल निगम
लखनऊ।

ई-मेल द्वारा

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण में योजित ओ0 ए0 संख्या- 231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0 ए0 संख्या-231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य के सम्बन्ध में ऑवर साइट कमेटी, एन0जी0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दिनांक 27.01.2021 को प्रस्तावित बैठक हेतु दिये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
23.01.21

(सर्वेश कुमार)
मुख्य अभियंता (गा0 क्षेत्र)


पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।


प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियंता (गा0 क्षेत्र)

Sl. No	Points of Discussion	Reply
5	It was directed to immediately start bioremediation of Saharanpur and Muzaffarnagar drains for the treatment of sewage gap in river Hindon and UPPCB to carry out monitoring to ascertain effectiveness of bio-remediation within 30 days. What has been the progress so far?	Not related to UPJN.
6	In the meeting dated 21.07.2020, UP. Jal Nigam informed that tenders have been finalized for STP in Muzaffarnagar and Budhana and within 24 months they aim to complete the work. In case of Saharanpur, DPR has been submitted and approval from NMCG is awaited. What is the progress so far?	In Muzaffarnagar and Budhana STPs, works are under progress (overall progress 5% each). Likely to be completed by 06/2022. DPR for I&D and STP works at Saharanpur was submitted to NMCG, New Delhi vide letter no. 526/06-612T/SMCG-UP/01 dated 08.06.2020. Observations on DPR were received from NMCG vide their letter no. Pr/22012/8/2020-Tech Construction NMCG dated 15.12.2020. The DPR is being revised by WAPCOS (appointed by NMCG) and is likely to be submitted by 28.02.2021 after incorporating the raised observations.
7	The issue of STPs is lingering on from last many days, any action taken against the erring officers?	—
8	How much EC has been imposed and realized till date from the defaulting units in the area?	Not related to UPJN.


 (Devendra Kumar)
 Dy. Sec. (co-ordination)


 23.01.21
 (Sarvesh Kumar)
 Chief Engineer (Gzb Zone)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 02.12.2020 का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न वादों, जिनमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर मा० अधिकरण के आदेश के अनुश्रवण हेतु निर्देश जारी हैं, में अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2020 को मध्याह्न 12:00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

2- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा मा० एन०जी०टी० में लम्बित विभिन्न वादों में पारित आदेशों के समयबद्ध अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि यदि किसी विभाग द्वारा माननीय न्यायालयों/एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही समय पर नहीं की जाती है तथा समय पर अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय अथवा मा० एन०जी०टी० द्वारा मुख्य सचिव को अनुपालन के लिये निर्देशित किया जाता है, तो इसमें विभाग की लापरवाही का संज्ञान लेकर उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि माननीय न्यायालयों/एन०जी०टी० में प्रचलित महत्वपूर्ण वादों में पैरवी का अनुश्रवण अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाय। प्रकरणवार हुए विचार-विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :-

1- ओ०ए० सं०-231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य:

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण हिण्डन नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु प्रभावित ग्रामों में पाईप वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस०टी०पी० की स्थापना, ड्रेन्स के फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन, दोषी उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली, परफार्मेंस गारण्टी, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आदि हैं।

प्रभावित सभी 148 गाँवों में पाईप वाटर सप्लाई के संबंध में अनुपालन की स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया कि 103 ग्रामों में पाईप वाटर सप्लाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष 44 ग्रामों एवं 1 हर्षा टाउन एरिया कमेटी में कार्य प्रगति पर है, जोकि 31 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर तक की प्रगति आख्या प्रेषित की जा चुकी है तथा अद्यतन प्रगति आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कर दी जाएगी। मा० अधिकरण द्वारा उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

03 एस०टी०पी० (मुजफ्फरनगर-22 एम०एल०डी०, बुढ़ाना-10 एम०एल०डी० एवं सहारनपुर-93.6 एम०एल०डी०) की स्थापना के संबंध में अवगत कराया गया कि बुढ़ाना एवं मुजफ्फरनगर में टेण्डर फाईनल किए जा चुके हैं तथा मुजफ्फरनगर में बाउण्ड्रीवाल की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस०टी०पी० की डी०पी०आर० एनएमसीजी में अनुमोदन हेतु लम्बित है। बैठक के दौरान सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस०टी०पी० के शीघ्र अनुमोदन हेतु नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एन०एम०सी०जी०) को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बायोरेमिडिएशन के बिन्दु पर नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विमर्श कर लिया गया है तथा कुछ स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिन स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, उनका विवरण प्रेषित करते हुए टाईमलाइन बढ़ाए जाने तथा ड्रेन्स पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के मा० एन०जी०टी० के फैसले पर पुनर्विचार हेतु

मा0 एन0जी0टी0 में अपील दाखिल की जाएगी।

प्रदूषणकारी उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 9.4 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, जिसके विरुद्ध रूपये 3.75 की धनराशि की रिकवरी की जा चुकी है। डिफाल्टर उद्योगों के विरुद्ध भू-राजस्व की भौति वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा-प्रभावित ग्रामों में पाईपड वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना, ड्रेन्स के फांइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन आदि को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दरों/परफार्मेंस गारण्टी पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त परियोजना में हुये विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। परफार्मेंस गारण्टी जमा किये जाने के संबंध में आख्या तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/ लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/उ0प्र0 जल निगम)

2. ओ0ए0 सं0-06/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं ओ0ए0 संख्या- 648/2019 मै0 हिण्डन रिजॉर्ट प्रा0लि0 वनाम जी0डी0ए0-

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 11.09.2019 एवं 05.03.2020 को जारी आदेशों में मुख्य रूप से शार्ट टर्म एवं लांग टर्म एक्शन प्लान की प्रगति, कैचमेंट में स्थापित एस0टी0पी0 के संचालन, एस0टी0पी0 की स्थापना/अपग्रेडेशन की स्थिति, सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी, स्टेटस ऑफ बायो-रेमिडिएशन, आन लाइन मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों से अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण को रोके जाने, ई0टी0पी0/एस0टी0पी0 के सुचारु रूप से संचालन, यमुना नदी के फ्लड प्लेन पर यू0पी0 पार्ट के रिजुविनेशन आदि बिन्दु आच्छादित हैं।

उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त आख्या के अनुसार साहिबाबाद ड्रेन का फ्लो मापन के उपरान्त 90 एम0एल0डी0 पाया गया है, थर्ड पार्टी से Flow measurement हेतु दिनांक 02.11.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।

इन्दिरापुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन के इन्टरसेप्शन/डायवर्जन के उपरान्त उक्त के शोधन हेतु 60 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है, जिस हेतु डी0पी0आर0 एन0एम0सी0जी0 में प्रेषित की गयी है। स्वीकृति के उपरान्त 2 वर्ष में उक्त कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित है।

इन्दिरापुरम गाजियाबाद में कुल 8 एस0टी0पी0 हैं, जिनमें 56 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एस0टी0पी0 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, 70, 56, 56 एवं 74 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एस0टी0पी0 उ0प्र0 जल निगम, जिनके संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है तथा 30 एमएलडी एस0टी0पी0 लोनी, जिसका संचालन उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है, स्थापित हैं। उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्दिरापुरम में स्थापित 03 एस0टी0पी0 (56, 56, 74) एमएलडी कुल क्षमता-186 एम0एल0डी0 के संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है। पाईप लाइन आदि की मरम्मत का कार्य नवम्बर, 2020 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। वर्तमान में 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के renovation का कार्य पूर्ण हो

चुका है, एवं उक्त एस0टी0पी0 मानकों की प्राप्ति कर रहा है। 70 एम0एल0डी0, 56 एम0एल0डी0 एवं 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (लोनी) के renovation का कार्य फरवरी, 2021 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त 32 के0एल0डी एफ0एस0टी0पी0 लोनी में तथा 50 के0एल0डी0 एफ0एस0टी0पी0 गाजियाबाद की स्थापना की जानी है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि conforming/non-conforming areas में स्थापित प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। उद्योगों में स्थापित ई0टी0पी0 एवं सी0ई0टी0पी0 के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु टीम गठित कर कार्यवाही की जा रही है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनुपालन आख्या यमुना मॉनीटरिंग कमेटी को प्रेषित की जा चुकी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए प्रश्नगत ड्रेन्स से यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण का निवारण किया जाए। यदि किसी परियोजना में टाइम लाईन का विस्तार वांछित हो तो संबंधित विभाग मा0 एन0जी0टी0 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी कराते हुए उचित आदेश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करें। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर नॉन कन्फर्मिंग एरियास में अवैध रूप से संचालित उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें बन्द कराया जाए।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/जिलाधिकारी, गाजियाबाद तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3. ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य-

बैठक में ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 के अनुपालन के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न ड्रेन्स के टैपिंग के संबंध में की गयी अद्यतन कार्यवाही का विवरण शीघ्र ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। एस0टी0पी0 से शुद्धिकृत उत्पन्नवाह के पुनः प्रयोग हेतु नीति बनायी जा चुकी है तथा कार्ययोजना विचाराधीन है। सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनायी जा चुकी है। अनटैप्ड ड्रेन्स में बायो रेमिडियेशन/फाइटोरेमिडियेशन सम्बंधी प्रस्ताव हेतु फण्डिंग के लिये सम्बंधित जनपदों के निकायों की अनुमति न मिल पाने के कारण, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी में बायो रेमिडियेशन के कार्य को छोड़कर अन्य सभी अनटैप्ड ड्रेन्स में कार्यवाही नहीं हो सकी है।

उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेगमेंट-बी एवं फेज-2 के अनटैप्ड ड्रेन्स के प्रस्ताव एक माह के अन्दर तैयार कर लिये जायेंगे तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा जनपद बांदा, गाजियाबाद एवं कानपुर के पूर्व सूचित असंचालित तीनों एस0टी0पी0 संचालित हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद का एस0टी0पी0 संचालित है, मुरादाबाद स्थित एस0टी0पी0 सीवेज की अनुपलब्धता के कारण संचालित नहीं हो सका है तथा फिरोजाबाद का एस0टी0पी0 नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा शीघ्र संचालित होना प्रस्तावित है।

फ्लड प्लेन जोन तथा ई-फ्लो से सम्बंधित बिन्दु पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेगमेंट-बी, फेज-1 के लिये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है तथा फेज-2 हेतु केन्द्रीय भूजल

आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। गंगा नदी में ई-फ्लो मेन्टेन करने हेतु नियमित अन्तराल पर नरौरा एवं अन्य बांध से जल छोड़ा जा रहा है तथा रि-फ्लो नोटिफिकेशन का अनुपालन किया जा रहा है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी सम्बंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पूर्व सूचित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट की समीक्षा कर संशोधित समय-सीमा के लिये मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध कर लिया जाये। जिन प्रोजेक्ट्स के समय से पूर्ण न होने की स्थिति में जुर्माना जमा किया जाना है, उनके सम्बंध में औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से जुर्माना जमा करने से छूट हेतु अनुरोध कर लिया जाये। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम द्वारा असंचालित एस0टी0पी0 के संचालित हो जाने सम्बंधी अद्यतन रिपोर्ट तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दी जाये। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने स्तर पर गहन समीक्षा अवश्य कर लें तथा परियोजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पाये जाने पर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4. ओ0ए0 संख्या-985/2019 विद 986/2019: वॉटर पाल्युशन बाई टैनरीज एट जाजमऊ, कानपुर उत्तर प्रदेश विद वॉटर पाल्युशन एट रनिया, कानपुर देहात एण्ड राखी मंडी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-

बैठक में ओ0ए0 संख्या-985/2019 विद 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण के सम्बंध में उत्तरदायी विभाग यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तीन बार टेण्डर आमंत्रित किये गये, परन्तु तीनों बार एक ही निविदा प्राप्त हुई तथा उसमें सूचित भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण की लागत अनुमानित लागत के सापेक्ष काफी अधिक पाये जाने के कारण टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में नीरी नागपुर एवं चार प्रमुख आई0आई0टी0 से टेण्डर की शर्तों को शिथिल करने के सम्बंध में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जिससे उनको सम्मिलित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात एवं राखीमण्डी कानपुर में प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्र में 02 हेल्थ कैम्प आयोजित किये गये थे, परन्तु कोविड-19 के कारण अन्य कैम्प आयोजित नहीं किये जा सके हैं। अंतिम हेल्थ सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कोविड-19 के कारण पूर्ण अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पायी है, परन्तु आयोजित किये गये हेल्थ कैम्प में आने वाले मरीजों में पायी जाने वाली बीमारियों का सम्बंध कोमियम डम्प से सम्भावित दुष्प्रभावों से होना सिद्ध नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा अधीक्षक डा0 हर्षवर्धन की अध्यक्षता में एक चिकित्सकीय टीम का भी गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

कानपुर देहात स्थित कोमियम डम्प की दोषी इकाइयों के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बंध में जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अद्यतन

स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी। जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि सभी दोषी उद्योगों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा इस कार्यवाही में यह ज्ञात हुआ कि वसूली नोटिस जारी होने के पूर्व ही अधिकांश उद्यमियों द्वारा जमीन बेची जा चुकी है। कुछ उद्यमियों की सम्पत्ति कानपुर नगर में है, इसलिये जिलाधिकारी, कानपुर नगर से वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिये अनुरोध किया गया है। कानपुर देहात में स्थित एक उद्यमी की जमीन पर महाविद्यालय बनाया जा रहा है तथा जमीन सरकार के नाम दृष्टिबंधक है।

ओ0ए0 संख्या-986/2019 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 जल निगम पर अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण उ0प्र0 सरकार पर रुपये 10 करोड़ तथा उ0प्र0 जल निगम पर रुपये 1.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे जमा नहीं किया गया है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा जाजमरू में स्थापित एस0टी0पी0 का प्रभावी संचालन नहीं किये जाने एवं अशुद्धिकृत सीवेज को बाईपास कर गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण बोर्ड द्वारा भी उ0प्र0 जल निगम के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूपीसीडा द्वारा कोमियम डम्प के निस्तारण की कार्यवाही में अत्यंत विलम्ब किया गया है, जिसके दृष्टिगत यूपीसीडा द्वारा नीरी नागपुर तथा आई0आई0टी0 से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त कर टेण्डर आमंत्रित करते हुए भण्डारित कोमियम वेस्ट को हटाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि किये गये सर्वे के आधार पर अंतिम रिपोर्ट शीघ्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अपेक्षा की गयी कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को भी दोषी उद्योगों की सम्पत्ति से वसूली हेतु आर0सी0 स्थानान्तरित कर दी जाये। उद्यमी के महाविद्यालय की जो जमीन उ0प्र0 सरकार के नाम बंधक है, उसमें सेकेण्ड चार्ज के रूप में नियमानुसार पर्यावरण विभाग/जिलाधिकारी, कानपुर देहात का भी नाम दर्ज कराया जाय जिससे उ0प्र0 सरकार से भूमि बन्धक मुक्त होने के बाद यदि आर.सी. की धनराशि वसूली हेतु अवशेष रहती है तो इस सम्पत्ति से नियमानुसार वसूली की जा सके। उ0प्र0 जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट हेतु औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, /नगर विकास विभाग, प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा/उ0प्र0 जल निगम एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात)

5. ओ0ए0 संख्या-804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया; व अन्य-

बैठक में ओ0ए0 संख्या-804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 के अनुपालन के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेट्स एवं अग्रतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 प्रख्यापित हो जाने से पूर्व ही अनेक उद्योगों द्वारा अपने परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रभावी निस्तारण न किये जाने के कारण प्रदेश में 19 कन्टेमिनेटेड साइट एवं 22 प्रोबेबल कन्टेमिनेटेड साइट्स चिन्हित किये गये थे। इनके सम्बंध में बोर्ड द्वारा अद्यतन जांच करायी गयी, जिसके आधार पर 12 साइट्स में भूगर्भ जलगुणता कुप्रभावित न पाये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उ0प्र0 12 साइट्स को कन्टेमिनेटेड साइट्स की सूची से हटाने हेतु अनुरोध किया जा चुका

है। इसके अतिरिक्त 08 साइट्स के सम्बंध में यूपीसीडा से भूगर्भ जल गुणता सम्बंधी रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। इन सभी साइट्स के सम्बंध में पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् गुणदोष के आधार पर भूगर्भ जल के रेमिडियेशन की कार्यवाही हेतु फण्डिंग की आवश्यकता होगी; जिसका प्रबन्ध दोषी उद्योग चिन्हित हो जाने की स्थिति में "पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल" के आधार पर उद्योगों से अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार से कराया जाना अपेक्षित होगा।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में श्रम विभाग, नगर विकास विभाग आदि से अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट अपेक्षित है।

यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में कन्टेमिनेटेड साइट्स के सम्बंध में जांच हेतु प्रभावी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करा लिया जाये तथा इस हेतु जो भी धन आवश्यक होगा; वह उपलब्ध करा दिया जायेगा। श्रम विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट आज भेज दी गयी है।

अन्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यूपीसीडा द्वारा उनके क्षेत्र से अपेक्षित जांच सम्बंधी कार्य सम्भव न हो पाने की स्थिति में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने के आशय का पत्र भेजा जाये। जिन क्षेत्रों में रेमिडियेशन का कार्य किया जाना है, उक्त कार्य हेतु दोषी उद्योगों को चिन्हित कर उनसे उक्त कार्य पूर्ण कराया जाये, अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग आदि द्वारा धन उपलब्ध कराते हुए कार्य कराया जाये। श्रम विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्रम, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगर विकास तथा प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा)

ओ0ए0 संख्या-320/2018 पार्क अवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेल्फेयर सोसाइटी एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य-

अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के मास्टर प्लान के अन्तर्गत खुली जमीन/पार्क/हरित पट्टिका के विक्रय एवं अवैध प्लॉटिंग के संगंध में प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में योजित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त की रोकथाम किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। हैडकॉर्ष निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, विधि स्थापित व्यवस्था का पालन करते हुये अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण कार्य का स्वस्तीकरण करते हुए मास्टर प्लान के अनुसार हरित पट्टिका हेतु भूमि को रिक्त कराते हुए हरित पट्टिका को विकसित किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जंत्रणों/प्राधिकरणों में भी तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा एन0जी0टी0 द्वारा अवैध व्यवस्था का पूर्ण विवरण एवं अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही - अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

ओ0ए0 संख्या- 490/2019 टी0एन0 सिंह दनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड आदर्स-

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण प्रतापगढ़ में सई नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित एस0टी0पी0 हेतु सीवर लाईन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किये जाने से सम्बन्धित है। एस0टी0पी0 निर्माण का कार्य 2009 में अधूरा छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव,

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है। सई नदी में सीधे गिर रहे सीवेज का बायो-रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व निर्मित एस0टी0पी0 को पूर्ण रूप से संचालित करने तथा सई नदी में गिर रहे नालों की टैपिंग कर एस0टी0पी0 से संयोजन करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराकर अनुमोदन हेतु मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली प्रेषित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाये तथा एस0टी0पी0 को संचालित कराया जाय। दोषी परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सहित तथा सीवर लाइन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 संयोजन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बना कर मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जाए।

(कार्यवाही –प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

8. ओ0ए0 सं0 – 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर तथा ओ0ए0 सं0 – 437/2015-

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस-पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल-मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय टोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति तथा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से भू-जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को ही विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 में प्रकरण दिनांक 17.12.2020 को नियत है।

1- इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने पत्र दिनांक 02.11.2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ एवं केस्को लि0, कानपुर को निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

अ. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

ब. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाय।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के उक्त आदेश दिनांक 02.11.2020 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही – अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कॉर्पोरेशन)

2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण-बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण के अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 के अनुसार किसी नये नलकूप की स्थापना बिना सी०जी०डब्लू०ए० की अनुमति के बिना नहीं होगी तथा भू-गर्भ जल के निकासी के विभिन्न प्रयोजनों के लिये दरें निर्धारित की गयी हैं। सी०जी०डब्लू०ए० की अनुमति के बिना नये नलकूपों की स्थापना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिदोहित एवं क्रिटिकल नोटिफाइड एरियाज में भू-जल की निकासी करने वाले उद्योगों अथवा विस्तारीकरण की परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3- नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर में एस०टी०पी० की स्थापना के सम्बन्ध में उ०प्र० जल निगम द्वारा तैयार की गयी डी०पी०आर० की स्वीकृति हेतु एन०एम०सी०जी० में प्रेषित की गयी है। मुख्य सचिव द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को निर्देश दिये गये कि एन०एम०सी०जी० से समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृत कराने हेतु प्रयास किया जाये एवं तदनुसार मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4- गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा रू० 76.79 करोड़ की लागत से सी०ई०टी०पी० की स्थापना के सम्बन्ध में डी०पी०आर० की स्वीकृति हेतु एन०एम०सी०जी० से सर्म्पक कर डी०पी०आर० की स्वीकृति हेतु शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर सी०ई०टी०पी० की स्थापना सुनिश्चित करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर)

5- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धीकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट के सम्बन्ध में भूमि चिन्हित कर ली गयी है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम द्वारा शेष चिन्हित भूमि का अधिग्रहण जिलाधिकारी, गोरखपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र किया जाये। अग्रिम कार्यवाही अतिशीघ्र सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर)

6- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन का कार्य दिनांक 15.12.2020 से प्रारम्भ हो जायेगा। रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन/फाईटो रेमिडेशन किये जाने तथा नालों को टैप्ड किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन औचित्य सहित मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नगर निगम, गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश जल, निगम को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम गोरखपुर)

7- गोमती नदी के कैचमेन्ट में स्थापित हो रहे एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाये एवं सीधे निस्तारित हो रहे नालों में तत्काल बायो रेमिडेशन/फाईटो रेमिडेशन आरम्भ कराया जाये।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, नगर विकास, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा नगर आयुक्त, लखनऊ)

8- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड़ को जमा किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अद्यतन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर)

9- तिहुरा नाले की सफाई एवं नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया कि तिहुरा नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका मेसर्स यश पैका लि0, दर्शन नगर, अयोध्या द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में दायर की गयी है। तिहुरा नाले के बन्धों को न हटाये जाने के सम्बन्ध में दूसरी याचिका शान्ति सिंह द्वारा दायर की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक उक्त याचिकाओं पर कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर केस की शीघ्र पैरवी करायी जाय तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता की राय अनुसार तिहुरा नाले की अद्यतन अनुपालन आख्या विलम्बतम एक सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही –जिलाधिकारी, अयोध्या)

9. ओ0ए0 सं0 – 606/2018 कम्प्लायंस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016-

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित है तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्देश दिनांक 10.01.2020 में आदेशित किया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य 31.03.2020 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडिेशन

का कार्य दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त समयावधि के उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की दरें मासिक निर्धारित की गई हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइम लाइन में परियोजनाओं को पूर्ण नहीं किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के विरुद्ध पत्र दिनांक 07.07.2020 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा Thematic Areas पर तृतीय त्रैमासिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में प्रस्तुत करते हुए एक प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जा चुकी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना दिनांक 30.11.2020 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये-

1- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

2- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना 01 सप्ताह के अन्दर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/लोक निर्माण/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3- प्रदेश में लीगेसी वेस्ट के जी0आई0एस0 मैपिंग एवं आंकलन तथा लीगेसी वेस्ट स्थल पर भूगर्भीय जल का अनुश्रवण कराते सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में Thematic Areas पर माह दिसम्बर, 2020 तक की प्रगति संबंधी सूचनाएं अद्यतन करते हुए दिनांक 07.01.2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को ई-मेल आई डी-(soenvups@rediffmail.com) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल आई डी-(ms@uppcb.com) पर प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /ग्राम्य विकास/ सिंचाई एवं जल संसाधन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

10. ओ०ए० सं० – 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा बनाम युनियन ऑफ इण्डिया-

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 में निर्देशित है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन तथा शोधित उत्प्रवाह के प्रयोग हेतु बजट, वित्तीय प्रावधान प्रदर्शित करते हुए कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30.06.2020 तक प्रेषित की जानी थी, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा नगर विकास विभाग को समयबद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश भी जारी किये गये थे। मा० अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2020 में निर्देशित किया गया है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन एवं शोधित उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग हेतु तैयार किये गये ऐक्शन प्लान के अनुपालन की स्थिति समय-पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जानी है।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा० एन०जी०टी० द्वारा उपरोक्त आदेश में दिनांक 01.07.2020 तक 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसिडु रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस०टी०पी० स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस०टी०पी० से जोड़े जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की मासिक दर निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा० एन०जी०टी० के उपरोक्त आदेशों में निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर औचित्य सहित पुनर्विचार किये जाने तथा सीवेज शोधन एवं शोधित सीवेज के पुनः प्रयोग हेतु ऐक्शन प्लान तैयार कर मा० अधिकरण में शीघ्र दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम)

11. ओ०ए० सं० – 621/2018 महेन्द्र पाण्डेय बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण जनपद मुरादाबाद में रामगंगा नदी के तट पर पूर्व में अवैध रूप से स्थापित ई-वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयों द्वारा प्रोसेसिंग से जनित अपशिष्ट (ब्लैक पाउडर) के निस्तारण के सम्बन्ध में है। उक्त ब्लैक पाउडर को रामगंगा नदी के तट से हटा कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के अनुसार जनपद-मुरादाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन साइट पर अस्थायी रूप से भण्डारित किया गया है। उक्त अस्थायी भण्डारित अपशिष्ट के अन्तिम निस्तारण हेतु ब्लैक पाउडर को वेस्ट प्रोसेसिंग साइट से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) में प्रेषित किया जाना है। उक्त प्रस्तावित टी०एस०डी०एफ० का संचालन माह फरवरी, 2021 में प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य द्वारा की गई कार्यवाही को संकलित करते हुए मा० अधिकरण में कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित की जा चुकी है। सिंचाई विभाग, मुरादाबाद द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर को अस्थायी भण्डारित स्थल से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी०एस०डी०एफ० तक ले जाने हेतु आने वाले व्यय का आंकलन लगभग रु 96 लाख आंकलित किया गया है।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लैक पाउडर के निस्तारण हेतु पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक

दिनांक 26.09.2018 में निम्न 04 विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया :-

विकल्प 1	जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा ग्राम फाजलपुर, तहसील सदर मुरादाबाद में चिन्हित 5.5 एकड़ भूमि पर Secured Landfill Site का निर्माण कर रामगंगा नदी के तट पर निस्तारित ब्लैक पाउडर को निस्तारित किया जाना।
विकल्प 2	नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा पूर्व में विकसित लैंडफिल साइट में अस्थायी रूप से ब्लैक पाउडर का सुरक्षित भण्डारण किया जाना।
विकल्प 3	ब्लैक पाउडर का निस्तारण प्राधिकृत टी0एस0डी0एफ0 से कराया जाना।
विकल्प 4	अमरोहा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0-के संचालन के उपरांत ब्लैक पाउडर का स्थाई निस्तारण।

उक्त बैठक दिनांक 26.09.2018 में विचार-विमर्श के उपरान्त विकल्प सं0-1, 2, 3 पर वैज्ञानिक/वाणिज्यिक फिजीबिलिटी न होने के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर का निस्तारण जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अद्यतन बैठक दिनांक 02.12.2020 में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

1- जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों की एक अंतर्विभागीय समिति बनाकर अस्थायी रूप से भण्डारित ब्लैक पाउडर को स्थल पर ही मानकों के अनुरूप निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय एवं तकनीकी आंकलन करते हुए आख्या 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही - जिलाधिकारी, मुरादाबाद)

2- पूर्व में रामगंगा नदी के तट पर ब्लैक पाउडर निस्तारित करने वाले दोषियों की पहचान किये जाने हेतु जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग मुरादाबाद, नगर निगम मुरादाबाद, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की संयुक्त समिति द्वारा 10 दिन के अन्दर की जाए।

(कार्यवाही - जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, नगर निगम, मुरादाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद)

3- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर के परिवहन एवं मानकों के अनुरूप निस्तारण में होने वाले व्यय का आंकलन करते हुए रिपोर्ट 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए तथा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

4- उक्त ब्लैक पाउडर का सुरक्षित स्थायी निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यय का वहन बॉड ऑनर्स के Extended Producer Responsibility के अंतर्गत कराये जाने की सम्भावना के परीक्षण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही - सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

12. ओ0ए0 संख्या-681/2018 News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15"

1- बैठक में उ0प्र0 राज्य के अंतर्गत नॉन अटेनमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू कार्ययोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति एवं

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में चिन्हित 15 नॉन अटेंमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दो शहरों यथा मेरठ एवं गोरखपुर को भी नॉन अटेंमेंट शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है। मेरठ की कार्ययोजना का निरूपण कर उसे अनुमोदनार्थ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा गोरखपुर की कार्ययोजना का निरूपण का कार्य वर्तमान में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर से सूचनायें इत्यादि प्राप्त कर किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त बैठक में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी तथा निम्न निर्णय लिये गये:-

1- गोरखपुर की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के निरूपण हेतु समस्त वांछित सूचनायें एक सप्ताह के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाय।

(कार्यवाही - जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर)

2- वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु विकसित समीर एप एवं स्वच्छ वायु एप पर प्राप्त शिकायतों से संबंधित विभागों द्वारा 01 सप्ताह के अन्दर शिकायतों का निस्तारण करते हुए आख्या प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही- नगर आयुक्त, गाजियाबाद, सी0ई0ओ0.नोएडा एथॉरिटी, जिलाधिकारी, गाजियाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, नोएडा एवं मेरठ)

3- लीगेसी वेस्ट का निस्तारण एवं उ0प्र0 में लीगेसी वेस्ट की जी0आई0एस0 मैपिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4- बैठक के दौरान 500 से अधिक ए0क्यू0आई0 आने की दशा में पर्यावरणीय इमरजेंसी को आपदा के रूप में सम्मिलित कर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम विकसित किये जाने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से भी दिशा-निर्देश प्राप्त कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही की जाय तथा आपदा की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

5- मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये कि ओवरसाइट समिति की संस्तुतियों का अनुपालन संबंधित विभागों से सुनिश्चित कराया जाये। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को ओवरसाइट समिति की रिपोर्ट के बिंदुओं पर अनुपालन आख्या 01 सप्ताह के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

6- माननीय एन0जी0टी0 के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के संबंध में गृह विभाग पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करें तथा विलम्बतम दिनांक 15.12.2020 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग)

3- उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त वादों के संबंध में निम्न कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये :-

1- उक्त समस्त वादों में सभी संबंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइमलाईन के अनुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर दिनांक 15.12.2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

2- जिन कार्यों में टाइमलाईन के अंतर्गत कार्यवाही नहीं हुयी है तथा उनमें यदि अनुचित विलम्ब हुआ है तो दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर उपलब्ध करायी जाय।

3- जिन कार्यों में विलम्ब औचित्यपूर्ण है उनमें औचित्य के साथ टाइमलाईन एक्सटेंशन एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की माफी हेतु प्रार्थना पत्र मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दाखिल करायें तथा उसकी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर उचित आदेश प्राप्त किया जाय।

4- सभी संबंधित विभागों द्वारा या तो मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन करें, और यदि विभाग को आदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई हो तो मा0 एन0जी0टी0 अथवा सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुरोध करके आदेशों में आवश्यक संशोधन करा लें।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

Digitally signed by सुधीर गर्ग
Date: Fri Dec 11 11:29:29 IST
2020
Reason: Approved

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या- N.G.T-645/81-7-2020-44(रिट)/2016 टी.सी.-2


लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/कृषि/पंचायती राज/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ग्राम्य विकास/ऊर्जा/परिवहन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/खाद्य एवं रसद/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन/ भूतत्व एवं खनिकर्म/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
- 3- जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात/मुशदाबाद/गाजियाबाद/अयोध्या।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 6- निदेशक, उद्योग, उ०प्र० कानपुर।
- 7- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)।
- 9- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(भारत प्रसाद)

अनु सचिव।

**Additional information required regarding OA 231/2014 Doaba
Paryavan Samiti Vs. State of UP and Ors.**

1. EC has been imposed on 29 drains of Hindon catchment area vide Board's letter no G 32922/C-4/RRC-II/2020 dated-16.06.2020 from July, 2020 onwards @ of Rs. 5.0 Lakh per drain/month which amounts to 8.70 Crores from the period of 1st July, 2020 till 31-12-2020.
2. For 6 drains of Muzaffarnagar and 2 drains of Shamli the process of EC imposition is already underway @ of Rs. 5 Lakh per drain/month from July, 2020.
3. Rs. 4.14 Crore has been recovered against Environmental Compensation of Rs. 11.32 Crore imposed by Board on 243 defaulting industries till now. Procedure for recovery of arrears of Environmental Compensation is to be done by way of attachment of properties, which is under progress.

Details of Untapped/Partially Tapped Drain in catchment area of 12 polluted stretches of River in U.P.

S. No.	Name of River	District	Name of Drain	Tapped/ Untapped/ Partially Tapped
1	Hindon	Saharanpur	Dhamola Drain	Untapped
2	Hindon	Saharanpur	Star Paper Mill Drain	Untapped
3	Hindon	Saharanpur	Bajaj Sugar Drain	Untapped
4	Hindon	Saharanpur	Daya Sugar Drain	Untapped
5	Hindon	Saharanpur	Thaska Drain	Untapped
6	Hindon	Saharanpur	Nagdechi Drain	Untapped
7	Hindon	Saharanpur	Badhai Khurd Drain	Untapped
8	Hindon	Muzaffarnagar	Titawi Drain	Untapped
9	Hindon	Muzaffarnagar	Dhandhera Drain	Untapped
10	Hindon	Muzaffarnagar	Mansurpur Drain	Untapped
11	Hindon	Muzaffarnagar	Nyajipur Drain	Untapped
12	Hindon	Muzaffarnagar	Sharhli Road Drain	Untapped
13	Hindon	Muzaffarnagar	Khadarwala Drain	Untapped
14	Hindon	Muzaffarnagar	Krishnapuri Drain	Untapped
15	Hindon	Muzaffarnagar	Suzru Village Drain	Untapped
16	Hindon	Muzaffarnagar	Nai Basti Khalapar Drain	Untapped
17	Hindon	Shamli	Shamli Drain	Untapped
18	Hindon	Shamli	Sikka Drain	Untapped
19	Hindon	Ghaziabad	Jawali Drain	Untapped
20	Hindon	Ghaziabad	Hindonvihar Drain	Untapped
21	Hindon	Ghaziabad	kailabhatta road drain	Untapped
22	Hindon	Ghaziabad	Arthala Drain	Untapped
23	Hindon	Ghaziabad	Indirapuram Drain	Untapped
24	Hindon	Ghaziabad	PratapVihar Drain	Untapped
25	Hindon	Ghaziabad	Dasna Drain	Untapped
26	Hindon	Ghaziabad	Karedha Drain	Untapped
27	Hindon	Meerut	Sardhana Drain	Untapped
28	Hindon	Meerut	Kinauni Drain	Untapped
29	Hindon	Meerut	Ramala Drain	Untapped